राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2)विभाग

क्रमांकः– प.4(7)साप्र/2/98 जयपुर, दिनांकः 26.7.2016

–:आदेश:–

विषयः– सम्मेलनों एवं बैठकों में अल्पाहार के संबंध में।

सम्मेलनों एवं बैठकों में अल्पाहार दिये जाने के संबंध में पूर्व में प्रचलित इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.07.2008 के अधिक्रमण में निम्नानुसार व्यय की दरें संशोधन की जाती हैः–

1.	मंत्रीगण/मुख्य सचिव/राज्य स्तरीय बैठकों में जिनमें भारत सरकार/अन्य सरकारों के प्रतिनिधि अथवा राज्य के बाहर के व्यक्ति भाग लेने वाले हो।	25.00 रू प्रति व्यक्ति तक
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष के स्तर पर होने वाली बैठकों के लिये।	20.00 रू प्रति व्यक्ति तक
3.	अतिरिक्त विभागाध्यक्ष तथा उनके समक्ष अधिकारियों के स्तर पर आयोजित की जाने वाली बैठकों हेतु	15.00 रू प्रति व्यक्ति तक

व्यय करते समय निम्न बिन्दुओं पर भी ध्यान रखा जावेगाः–

1. इस बात की पूर्ण सतर्कता बरती जायेगी कि वर्षभर में आंवटित राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जावेगा।
2. सम्मेलनों एवं बैठकों में अल्पाहार पर किये जाने वाले व्यय के बिलों को मंत्रीगणों के विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण/विशिष्ठ शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों के वरिष्ठ निजी सहायक व अन्य अधिकारियों के द्वारा स्वयं प्रमाणित किए जा सकेगें।
3. ऐसी बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए।
4. बैठकों की समयावधि 2 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए।
5. यह केवल उन बैठकों के लिए है जो कि कमेटी रूम में आयोजित की जाती है न कि संबंधित अधिकारियों के कक्ष/चैम्बर में आयोजित की जाने वाली बैठकों के लिए, जिसके लिये वित्त विभाग ने पृथक से आदेश जारी कर रखे है।

यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की सहमति जो उनकी आई0डी0 संख्या 101602837 दिनांक 12.07.16 के द्वारा प्रदान की गयी है के अनुसरण में जारी की जाती है।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय/मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राज0 जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/वि शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ आदि।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैन्च, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव